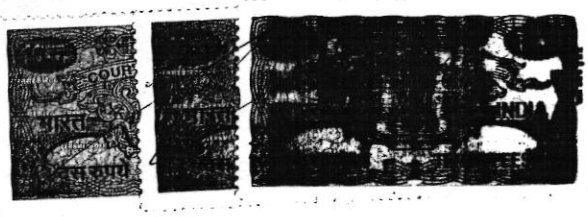

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प, भोपाल (म.प्र.)

पुनरीक्षण क्र. R-3926-I-16

1. जसरथ सिंह, आयु लगभग 40 वर्ष
2. सोमत सिंह, आयु लगभग 35 वर्ष
3. दुर्जन सिंह, आयु लगभग 30 वर्ष
तीनों पुत्रगण श्री कमल सिंह,
जाति राजपूत, निवासीगण– मजरा रामपुरा (लटेरी),
तहसील लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.)
4. मथरी बाई, आयु लगभग 45 वर्ष
पुत्री श्री कमल सिंह, पत्नी श्री अर्जुन सिंह
जाति राजपूत, निवासी– ग्राम हींगली रामपुरा,
तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा (म.प्र.)
5. शांति बाई, आयु लगभग 43 वर्ष
पुत्री श्री कमल सिंह पत्नी श्री राम सिंह,
जाति राजपूत, निवासी– चाचोड़ा, तहसील चाचोड़ा,
जिला गुना
6. फूल बाई, आयु लगभग 28 वर्ष
पुत्री श्री कमल सिंह, पत्नी श्री जालम सिंह
जाति राजपूत, निवासी– ग्राम हींगली रामपुरा,
तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा (म.प्र.)
7. भूली बाई, आयु लगभग 70 वर्ष विधवा
कमल सिंह, जाति राजपूत,
निवासी– मजरा रामपुरा (लटेरी),
तहसील लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.) .... आवेदकगण

विरुद्ध

1. नवल सिंह आयु लगभग 55 वर्ष
2. पूरन सिंह, आयु लगभग 50 वर्ष
3. केशर सिंह, आयु लगभग 42 वर्ष
4. मटरू, आयु लगभग 38 वर्ष
5. राजन सिंह, आयु लगभग 30 वर्ष
क्र. 1 से 5 पुत्रगण श्री रतन सिंह
जाति राजपूत, निवासीगण– मजरा रामपुरा (लटेरी)
तहसील लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.)
6. सुआ बाई, आयु लगभग 75 वर्ष, विधवा
पत्नी स्व. श्री रतन सिंह
जाति राजपूत, निवासी– मजरा रामपुरा (लटेरी),
तहसील लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.) .... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959

आवेदकगण न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी **महोदय**, लटेरी द्वारा अपील प्रकरण क्र. 44/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक **16.09.2016** से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहे हैं :–

प्रकरण के तथ्य

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा एक अपील न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, लटेरी के समक्ष प्रकरण क्र. 53/अ–6–अ/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 28.05.2012 के विरूद्ध इस आशय की प्रस्तुत की गई थी कि रेस्पान्डेंट के पूर्वाधिकारी रतन सिंह पुत्र धीरज सिंह, निवासी– मजरा रामपुरा (लटेरी) के द्वारा इस आशय का आवेदन पेश किया गया कि ग्राम लटेरी, कस्बा लटेरी में स्थित खसरा क्र. 2606 रकबा 1.202 हेक्टेयर वर्ष 2007--08 के कम्प्यूटर के खसरे में उसके स्वामित्व में अंकित थी, परन्तु उसके बाद उक्त भूमि कमल सिंह पुत्र धीरज सिंह के नाम अंकित की गई। इस कारण उक्त भूमि पूर्वानुसार राजस्व अभिलेख में उसके नाम अंकित की जाये। इस बीच रेस्पांडेंट के पूर्वाधिकारी रतन सिंह और अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी कमल सिंह पुत्र धीरज सिंह दोनों मृत हो गये। वास्तव में उक्त भूमि दिनांक 22.02.93 से पहले कमल सिंह पुत्र गजराज सिंह एवं गजराज सिंह पुत्र मोती सिंह के समान स्वत्व में अंकित थी और उनके द्वारा उक्त भूमि अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी कमल सिंह पुत्र धीरज सिंह को पट्टे पर जोतने को दे रखी थी। इसी आधार पर उनके बीच प्रकरण क्र. 12/अ–46/1991–92 गतिशील हुआ जिसमें दिनांक 25.01.1993 को अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी कमल सिंह पुत्र धीरज सिंह के पक्ष में आदेश पारित किया गया जिसके क्रम में नामांतरण पंजी क. 32 आदेश दिनांक 16.03.1993 की नामांतरण पंजी के अनुसार उसका नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित किया गया और इस प्रकार कमल सिंह पुत्र धीरज सिंह का नाम उक्त भूमि पर बतौर भूमिस्वामी नाम चला आ रहा था और यह प्रविष्टि वर्ष 2007–08 के पूर्व राजस्व अभिलेख में रही। इस संबंध में उक्त कमल सिंह पुत्र श्री धीरज सिंह, गजराज सिंह तथा अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी कमल सिंह के बीच कोई विवाद नहीं रहा। त्रुटिवश 2007–08 बिना किसी आधार के खसरा क्र. 2606 रकबा 1.202 हेक्टेयर प्रथम बार बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के कम्प्यूटर की त्रुटि के कारण रेस्पांडेंट के पूर्व अधिकारी रतन सिंह पुत्र धीरज सिंह के नाम अंकित कर दी गई जो बाद में उक्त त्रुटि को वर्ष 2008–09 को पूर्व अनुसार कम्प्यूटर में फीड करते समय ठीक कर दिया गया। इसी को आधार बनाकर कि उक्त भूमि पर रतन सिंह पुत्र धीरज सिंह के बजाय अपीलार्थीगण के पूर्व अधिकारी कमल सिंह पुत्र श्री धीरज सिंह के नाम यह भूमि गलत अंकित कर दी गई है जबकि पूर्व के अभिलेख में यह भूमि रतन सिंह पुत्र श्री धीरज सिंह के नाम थी

....3..

(34)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3926-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश गिरी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** (34)	